न्यायालय रिपोर्ट [2020] 13 एस.सी.सी. [2020] 13 एस.सी.आर. 554

तेज बहादुर

बनाम

श्री नरेंद्र मोदी

(सिविल अपील क्रमांक 2100 ऑफ़ 2020)

24 नवंबर, 2020

[एस। ए बोबडे, सीजेआई, ए.एस. बोपन्ना और

वी. रामसुब्रमण्यम, जे.जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951- एसएस.9(2), 33, 79, 81, 83, 86 - अपीलकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए प्रतिवादी के चुनाव पर सवाल उठाया गया - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया - पर अपील, आयोजित: धारा 81 में प्रावधान है कि चुनाव याचिका किसी भी निर्वाचक या ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है - अपीलकर्ता निश्चित रूप से वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक नहीं है - वह बीएसएफ का कर्मचारी था लेकिन सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था - वह दो नामांकन दाखिल किए - माना कि उसके नामांकन पत्र के साथ कोई प्रमाणपत्र नहीं था, जैसा कि धारा 33(3) के तहत आवश्यक है, कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया था और खारिज कर दिया गया था - इस प्रकार, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है वाराणसी चुनाव में विधिवत नामांकित उम्मीदवार रहा हूं - याचिका में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है - चुनाव याचिका धारा 81 आर/डब्ल्यू धारा 86(1) द्वारा वर्जित है - सिविल प्रक्रिया संहिता - Or.VI, r.16, या .VII, r.11.

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 में प्रावधान है कि ऐसे चुनाव में (ए) किसी भी निर्वाचक या (बी) किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 81 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि "निर्वाचक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। ऐसे में चुनाव वाराणसी संसदीय सीट पर है. जाहिर है, अपीलकर्ता वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता नहीं है क्योंकि उसे हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता

के रूप में नामांकित किया गया है। इस प्रकार उसका स्थान पूरी तरह से इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या वह एक उम्मीदवार है या विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है। 'उम्मीदवार' शब्द को अधिनियम की धारा 79 (बी) में परिभाषित किया गया है। परिभाषा के पहले भाग का उद्देश्य उस व्यक्ति को कवर करना है जिसे उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ दूसरे भाग में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो खुद को उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित होने का हकदार मानता है। सवाल यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता अप्रैल-मई 2019 में हुए वाराणसी चुनाव में विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है। उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। अपीलकर्ता सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी था और भारत सरकार के अधीन पद पर था। अपीलार्थी को 19.4.2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने दो नामांकन दाखिल किए, एक 24.4.2019 को और दूसरा 29.4.2019 को। सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति के वैध नामांकन के लिए यह शर्त है कि नामांकन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 33(3) स्वयं ऐसे प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति के परिणाम प्रदान करती है और वह यह है कि ऐसे व्यक्ति को "उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा"। कानून स्वयं मानता है कि ऐसे व्यक्ति को विधिवत नामांकित नहीं किया जा सकता है। धारा 33(3) की आवश्यकता है कि किसी बर्खास्त अधिकारी के नामांकन के साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर बर्खास्त नहीं किया गया है, इसे अनिवार्य माना जाना चाहिए। इस प्रावधान में 'डीम्ड' शब्द कोई कानूनी कल्पना नहीं रचता। यह किसी ऐसे व्यक्ति के कानूनी चरित्र के बारे में किसी भी संदेह को स्पष्ट करता है जो ऐसा नहीं करता है और निश्चित रूप से बताता है कि ऐसे व्यक्ति को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा। [पैरा 7, 16, 17, 19 और 20] [558- डे; 561-सीई; एफएच; 562-एसी]

1.2 माना जाता है कि अपीलकर्ता के नामांकन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं था कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है। भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग का प्रमाणपत्र नहीं था, इसके अलावा, उसे दोष ठीक करने के लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया. किसी व्यक्ति को यह दावा करने के लिए कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, उसके नामांकन पत्र को वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए जो नामांकन पत्र दाखिल करने को नियंत्रित करते हैं, अन्यथा नहीं। याचिका में दिए गए कथनों से यह खुलासा नहीं होता है कि अपीलकर्ता के पास कार्रवाई का कोई कारण

है जो उसे परेशान करता है। मुकदमा करने के अधिकार के साथ. जहां किसी व्यक्ति का कोई हित नहीं है, या कानूनी दावे या कार्रवाई का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हित नहीं है, तो उसके पास मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मुकदमा करने का अधिकार या लोकस स्टैंडी कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग है। अधिनियम की धारा 83 केवल एक निर्वाचक या उम्मीदवार को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देती है। निहित रूप से, यह किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव याचिका दायर करने से रोकता है। चुनाव याचिका को अधिनियम की धारा 86(1) के साथ पठित धारा 81 द्वारा भी वर्जित किया जा सकता है। [पैरा 22, 25 और 26][563-जीएच; 564-जीएच; 565-एबी]

कुलदीप सिंह पठानिया बनाम बिक्रम सिंह जरयाल 2017 5 एससीसी 345: [2017] 1 एससीआर 915; _चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह और अन्य।_ (1984) 1 एससीसी 390 : [1984] 2 एससीआर 6; _चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी_ (1978) 2 एससीसी 500: [1978] 3 एससीआर 1; _मिथिलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य।_ (1993) एसयूपीपी 4 एससीसी 386: [1992] 1 सप्ल। एससीआर 651; _चरण लाल साहू एवं अन्य. वी. केआर नारायणन और अन्य।_ (1998) 1 एससीसी 56 : [1997] 5 पूरक। एससीआर 317; _चरण लाल साहू बनाम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एवं अन्य।_ (2003) 1 एससीसी 609 : [2002] 5 पूरक। एससीआर 13; _बोलिन चेतिया बनाम जोगदीश भुइयां और अन्य।_ (2005) 6 एससीसी 81:[2005] 2 एससीआर 692; _टी. अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल_ (1977) 4 एससीसी 467:[1978] 1 एससीआर 742 - पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 9150	**पैरा**	**5 पर निर्भर था**
[1984] 2 एससीआर 6	**पैरा**	**21 पर निर्भर था**
[1978] 3 एससीआर 1	**पैरा**	**23 पर निर्भर था**
[1992] 1 पूरक। एससीआर 651	**पैरा**	**23 पर निर्भर था**
[1997] 5 पूरक। एससीआर 317	**पैरा**	**23 पर निर्भर था**
[2002] 5 पूरक। एससीआर 13	**पैरा**	**23 पर निर्भर था**
[2005] 2 एससीआर 692	**पैरा**	**24 पर निर्भर था**
[1978] 1 एससीआर 742	**पैरा**	**25 पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 2100।

2019 की चुनाव याचिका संख्या 17 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2019 से।

हरीश एन. साल्वे, सतपाल जैन, सीनियर। अधिवक्ता, प्रदीप कुमार यादव, विशाल ठाकरे, रुद्र प्रताप यादव, संजीव मल्होत्रा, रजत नायर, कनु अग्रवाल, सुश्री आस्था मेहता, धीरज जैन, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षों के लिए

कोर्ट का फैसला **एसए बोबडे, सीजेआई** द्वारा सुनाया गया

1. यह अपील चुनाव याचिका संख्या 17/2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद इसे 'सीपीसी' कहा जाएगा), 1908 के आदेश VI नियम 16 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 86(1) के साथ पढ़ा जाता है और आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति दी गई है। और इस प्रकार उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाता है। उक्त आवेदन अप्रैल-मई 2019 में 77वें संसदीय क्षेत्र (वाराणसी) से 17वीं लोकसभा के लिए प्रतिवादी श्री नरेंद्र मोदी के चुनाव पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका में दायर किया गया था।

2.चुनाव याचिका में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित करने की प्रार्थना की थी कि अपीलकर्ता का नामांकन अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था और इसके अलावा कुछ तथ्यों के प्रकटीकरण के अभाव में प्रतिवादी का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के कारण चुनाव दूषित हो गया था।

3. उचित सेवा के बाद, प्रतिवादी श्री नरेंद्र मोदी ने याचिका को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया और कहा कि याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है और अपीलकर्ता के पास प्रमाण पत्र के अभाव में याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। पक्षों को सुनने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश द्वारा चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के पास वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता न तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक था और न ही वह था।

4. तद्नुसार त्वरित अपील चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन पर विचार और निपटान करते समय चुनाव याचिका की अस्वीकृति की मांग करते हुए पारित एक आदेश से उत्पन्न होती है।

5. इसलिए यह मामला आवश्यक रूप से होना चाहिए चुनाव याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर निर्णय लिया गया, न कि किसी उत्तरदाता के उत्तर के आधार पर। (वीडियो: कुलदीप सिंह पठानिया बनाम बिक्रम सिंह जरयाल, (2017) 5 एससीसी 345

6. वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29.04.2019 थी। नामांकन प्रपत्रों की जांच 30.4.2019 को होनी थी। हम यहां मुख्य रूप से अपीलकर्ता के नामांकन की वैधता के सवाल से चिंतित हैं क्योंकि इसका सीधा असर इस सवाल पर पड़ता है कि क्या वह उम्मीदवार है और उसे चुनाव पर सवाल उठाने का अधिकार है।

7. अपीलकर्ता सीमा सुरक्षा बल का कर्मचारी था और भारत सरकार के अधीन पद पर था। अपीलार्थी को 19.4.2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने दो नामांकन दाखिल किए, एक 24.4.2019 को और दूसरा 29.4.2019 को।रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन को अमान्य पाया गया है क्योंकि उनके साथ इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं था कि अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 33(3)2 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9(2)1 के अनुसार आवश्यक है।

---

1 एस. 9(2) *: उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, चुनाव आयोग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण कर चुका है, या भ्रष्टाचार के लिए या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा;*

बशर्ते कि इस आशय का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के लिए या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया है जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

2 एस. 33(3) *: जहां उम्मीदवार वह व्यक्ति है जो (धारा 9) में निर्दिष्ट किसी भी पद को धारण करते हुए बर्खास्त कर दिया गया है और बर्खास्तगी के बाद से पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को नहीं माना जाएगा उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया जा सकता है, जब तक कि उसके नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से जारी किया गया प्रमाण पत्र न हो कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है।*

8. नामांकन पत्र के फॉर्म 2ए के भाग IIIए के खंड (6) में यह प्रश्न है कि क्या उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया था। 24.4.2019 को अपीलकर्ता द्वारा दाखिल किए गए पहले नामांकन फॉर्म में, अपीलकर्ता ने इस प्रश्न के खिलाफ 'हां' कहा और अपनी बर्खास्तगी की तारीख 19.4.2017 बताई। 29.4.2019 को उनके द्वारा दाखिल दूसरे नामांकन फॉर्म में उसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 'नहीं' कहा। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों नामांकनों में अलग-अलग

उत्तरों का हवाला देते हुए 30.4.2019 को दो नोटिस जारी किए। नोटिस में आगे बताया गया कि अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर सबूत रखा था कि उसे नामांकन की तारीख से पांच साल के भीतर भारत सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उनके नामांकन फॉर्म के साथ अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं था. उन्हें यह साबित करने के लिए चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था कि उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 (2) और धारा 33 (3) के तहत आवश्यक है। चुनाव आयोग की ओर से ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें दोनों नोटिसों द्वारा अगले दिन यानी 01.05.2019 को सुबह 11:00 बजे तक का समय दिया गया था। यह समय धारा 363 की उपधारा (5) के प्रावधान के अनुसार दिया गया था जो उम्मीदवार को किसी भी आपत्ति का खंडन अगले दिन से पहले नहीं करने की अनुमति देता है।

9. अपीलकर्ता ने पहले नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, हालांकि उसने चुनाव आयोग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया है। उसी तारीख को दूसरा नोटिस प्राप्त होने के बाद उन्होंने 30.5.2019 की शाम को एक पत्र भेजा और चुनाव आयोग को एक ईमेल भी लिखा, जिसमें एक प्रमाण पत्र मांगा गया था, जबकि इसे प्रस्तुत करने का समय 01.05.2019 को 11:00 बजे समाप्त हो रहा था। हूँ यानी अगले दिन. जाहिर है, अपीलकर्ता के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था।

10. रिटर्निंग ऑफिसर ने 01.05.2019 को अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसके साथ चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र नहीं था कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर नहीं थी।

11. अपीलकर्ता के नामांकन फॉर्म को इस आधार पर अस्वीकार करना कि उसके साथ अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं था, चुनाव याचिका में बड़ी चुनौती है। ऐसे अन्य आधार भी हैं जो इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं हैं।

***3 एस.36(5)** : रिटर्निंग अधिकारी धारा 30 के खंड (बी) के तहत इस संबंध में नियुक्त तिथि पर जांच करेगा और कार्यवाही के किसी भी स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि जब ऐसी कार्यवाही बाधित हो या दंगे से बाधित हो या खुली हिंसा या उसके नियंत्रण से परे कारणों से;*

बशर्ते कि यदि कोई आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उठाई जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है] तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन से पहले नहीं बल्कि जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद वाले दिन का खंडन करने के लिए समय दिया जा सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा करना होगा। जिस तारीख को कार्यवाही स्थगित की गई है उस पर अपना निर्णय दर्ज करें।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रदीप कुमार यादव ने अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (5) के प्रावधान पर भरोसा जताया। उनका तर्क है कि जहां नामांकन पत्र पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो संबंधित उम्मीदवार को अगले दिन तक का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे सुधारने के लिए एक दिन का समय दिया जाना चाहिए। ऐसे समय की अनुमति नहीं थी और ऐसे में नामांकन की अस्वीकृति कानून के विपरीत है। बार-बार पूछने के बावजूद, विद्वान वकील यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत देने में विफल रहे कि अपीलकर्ता ने अगले दिन से पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की थी, लेकिन जांच के लिए निर्धारित तारीख के बाद। अपीलकर्ता ने अपने अपील ज्ञापन में निम्नलिखित आधार उठाए हैं: -

> "... अपीलकर्ता को नोटिस में रिकॉर्ड प्राप्त करने और जमा करने के लिए पर्याप्त समय/अवसर प्रदान नहीं किया गया था दिनांक 30.04.2019 जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से..."

13. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे ने तर्क दिया कि परंतुक में प्रयुक्त वाक्यांश है "समय की अनुमति दी जा सकती है" और इस प्रकार प्रदान किया जाने वाला समय रिटर्निंग अधिकारी और अपीलकर्ता के विवेक पर निर्भर है। किसी भी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को समय दिए जाने का ऐसा कोई अवसर नहीं हो सकता जब उसने ऐसे किसी समय की मांग न की हो। अपीलकर्ता की ओर से इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

14. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, हमें लगता है कि परंतुक के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए अधिकार से संबंधित अधिक जानकारी देना व्यर्थ होगा, जबकि यह तर्क दिया गया है कि ऐसा अधिकार उपलब्ध है। उसे मना कर दिया गया. इसका कारण यह है कि नामांकन दाखिल करने की तिथि तक अपीलकर्ता के पास आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं था, जिसे नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। दिनांक 30.04.2019 के शपथ पत्र में, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया, वह केवल इस आधार पर अपेक्षित प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति को उचित ठहराता है कि उसे पहले सूचित नहीं किया गया था और उसे भ्रष्टाचार या विश्वासघात के आधार पर कभी भी बर्खास्त नहीं किया गया है। राज्य। यहां तक कि रिटर्निंग ऑफिसर के दिनांक 01.05.2019 के निर्णय में भी दर्ज है कि अपीलकर्ता के जवाब में उन्होंने कहा है कि धारा 9 और 33 (3) उनके मामले पर लागू नहीं होते हैं और उन्होंने चुनाव आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

15. अपील ज्ञापन में निहित कथन उस क्रम को संदर्भित करता है जिसमें अपीलकर्ता ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन इस आशय का कोई कथन नहीं है कि ऐसा प्रमाणपत्र सुरक्षित कर लिया गया था. यदि यही स्थिति है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पास न तो नामांकन दाखिल करने की तिथि पर, न ही जांच के समय, न ही अगले दिन, बल्कि जांच के लिए निर्धारित तिथि के बाद वाले दिन या यहां तक कि नामांकन दाखिल करने के समय भी आवश्यक प्रमाणपत्र था। चुनाव याचिका दाखिल करना.

16. अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि चुनाव याचिका (ए) किसी भी निर्वाचक या (बी) ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 81 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि "निर्वाचक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। ऐसे में चुनाव वाराणसी संसदीय सीट पर है. जाहिर है, अपीलकर्ता वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता नहीं है क्योंकि उसे हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है। इस प्रकार उसका स्थान पूरी तरह से इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या वह एक उम्मीदवार है या विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है।

17. 'उम्मीदवार' शब्द है अधिनियम की धारा 79(बी)4 में परिभाषित। परिभाषा के पहले भाग का उद्देश्य उस व्यक्ति को कवर करना है जिसे उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ दूसरे भाग में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो खुद को उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित होने का हकदार मानता है।

18. अपीलकर्ता के अनुसार, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दावा किया है उन्हें वाराणसी चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय को उनकी चुनाव याचिका पर विचार करना चाहिए था।

19. प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता उक्त चुनाव में विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने का दावा कर सकता है। उत्तर नकारात्मक होना चाहिए. सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति के वैध नामांकन के लिए यह शर्त है कि नामांकन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 33(3) स्वयं ऐसे प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति के परिणाम प्रदान करती है और वह यह है कि ऐसे व्यक्ति को "उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा"। कानून स्वयं मानता है कि ऐसे व्यक्ति को विधिवत नामांकित नहीं किया जा सकता है।

*4 **एस.79(बी)** 'उम्मीदवार' का अर्थ वह व्यक्ति है जो किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित किया गया है या होने का दावा करता है;*

20. धारा 33(3) की आवश्यकता है कि किसी का नामांकन बर्खास्त किए गए अधिकारी के साथ एक प्रमाणपत्र होना चाहिए कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के आधार पर बर्खास्त नहीं किया गया है, इसे अनिवार्य माना जाना चाहिए। यह एक ऐसी भाषा में समाहित है जो अनिवार्य है और एक निश्चित परिणाम प्रदान करती है। कि ऐसे व्यक्ति को विधिवत नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। इस प्रावधान में 'डीम्ड' शब्द कोई कानूनी कल्पना नहीं रचता। यह किसी ऐसे व्यक्ति के कानूनी चरित्र के बारे में किसी भी संदेह को स्पष्ट करता है जिसने ऐसा नहीं किया है और यह निश्चितता के साथ बताता है कि ऐसे व्यक्ति को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा। इसलिए, विधायी योजना को ऐसे व्यक्ति की अनुमति देना, जिसने धारा 33 (3) के अनुसार अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, उसे यह दावा करने में सक्षम बनाना बेतुका होगा कि वह एक विधिवत नामांकित उम्मीदवार है, भले ही प्रावधान ऐसा अनिवार्य करता हो। किसी व्यक्ति को विधिवत नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा।

21. हमारा विचार है कि कानून का आदेश है कि ऐसा व्यक्ति विधिवत नामांकित न समझे जाने पर इसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का हकदार नहीं माना जाना चाहिए कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, भले ही वह कानून की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता हो। हालाँकि ये टिप्पणियाँ नामांकन के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में की गई थीं, इस न्यायालय द्वारा चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह और अन्य, (1984) 1 एससीसी 390 सहित कई निर्णयों में निर्धारित कानून को स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले को नियंत्रित करना चाहिए। . उस मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया: जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 13(ए) के तहत उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित होने का दावा कर सकता है। न्यायालय ने कहा: -

> *"11. .....लेकिन, विधिवत नामांकित होने का दावा उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसका नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5-बी (1) (ए) की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, एक व्यक्ति जिसके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में अपेक्षित संख्या में मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसे विधिवत नामांकित किया गया था। ऐसा दावा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो यह*

दिखा सके कि उसका नामांकन पत्र धारा 5-बी के प्रावधानों के अनुरूप था और फिर भी उसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया, यानी गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। उदाहरण के लिए, यदि रिटर्निंग अधिकारी इस आधार पर नामांकन पत्र को खारिज कर देता है कि नामांकन का प्रस्ताव देने वाले दस ग्राहकों में से एक निर्वाचक नहीं है, तो याचिकाकर्ता विधिवत नामांकित होने का दावा कर सकता है यदि वह साबित करता है कि उक्त प्रस्तावक वास्तव में एक था 'निर्वाचक'

12. इस प्रकार, किसी व्यक्ति के लिए यह दावा करने का अवसर कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसका नामांकन पत्र वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है जो नामांकन पत्र दाखिल करने को नियंत्रित करते हैं, अन्यथा नहीं। यह दावा कि उन्हें 'विधिवत' नामांकित किया गया था, आवश्यक रूप से यह दावा करता है और इसमें यह दावा भी शामिल है कि उनका नामांकन पत्र क़ानून की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसलिए, एक प्रतियोगी जिसके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम दस निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में दस निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 5-बी (1) (ए) के अनुसार अपेक्षित है, अब वह विधिवत नामांकित होने का दावा नहीं कर सकता है। उस प्रतियोगी की तुलना में जिसने अपने स्वयं के नामांकन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। एक प्रतियोगी का यह दावा कि उसे विधिवत नामांकित किया गया था, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से उत्पन्न होना चाहिए। यह अधिनियम के उल्लंघन से उत्पन्न नहीं हो सकता। अन्यथा, एक व्यक्ति जिसने कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, लेकिन जिसने रिटर्निंग अधिकारी को केवल मौखिक रूप से सूचित किया था कि वह चुनाव लड़ना चाहता है, वह भी यह दावा कर सकता है कि वह 'उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकित होने का दावा करता है।

' उपरोक्त निर्णय को वर्तमान मामले में लागू करने पर अपीलकर्ता के लिए यह दिखाना आवश्यक था कि उसका नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 33(3) के प्रावधानों के अनुरूप है।

22. माना जाता है कि अपीलकर्ता के नामांकन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं था कि उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त नहीं किया गया था। इस संबंध में कानून की किसी भी अन्य योजना का निर्माण चौंकाने वाला होगा क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति को सक्षम करेगा जो निर्वाचक नहीं है और यहां तक कि चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित होने का हकदार भी नहीं है कि वह लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठा सके।

23. इस स्तर पर हम यह दर्ज करना चाहेंगे कि भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग का प्रमाणपत्र नहीं था, इसके अलावा, उसे दोष ठीक करने के लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया. यह तय है कि किसी व्यक्ति को यह दावा करने के लिए कि उसे विधिवत नामांकित किया गया है, उसके नामांकन पत्र को वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो नामांकन पत्र दाखिल करने को नियंत्रित करते हैं, अन्यथा नहीं। [वीडियो चरण लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी, (1978) 2 एससीसी 500; चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह (सुप्रा); मिथिलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य। (1993) एसयूपीपी 4 एससीसी 386; चरण लाल साहू एवं अन्य. वी. केआर नारायणन और अन्य। (1998) 1 एससीसी 56; चरण लाल साहू बनाम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एवं अन्य, (2003) 1 एससीसी 609]।

24. इसलिए, हम अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और प्रतिवादी को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं समझते हैं। अपील तथ्य या कानून का कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाती है और अपील को स्वीकार करना अदालत के लिए ऐसा करना निरर्थक प्रयास होगा। बोलिन चेतिया बनाम जोगादीश भुयान और अन्य, (2005) 6 एससीसी 81 में, आरसी लाहोटी सीजे ने अदालत के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहा:

> *"यह इस प्रकार है स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय सहित अपीलीय अदालतों के पास किसी अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति अपीलीय क्षेत्राधिकार में निहित है। प्रथम अपीलों के संबंध में सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति इस सावधानी के अधीन प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग अपवाद के रूप में किया जाएगा और यदि केवल प्रथम अपीलीय अदालत आश्वस्त है कि अपील इतनी बेकार है, तो कोई भी तर्कसंगत प्रश्न नहीं उठता है। तथ्य या कानून का, क्योंकि यह प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर समय और धन की सरासर बर्बादी होगी, और अदालत के लिए भी व्यर्थता होगी। अपीलों को सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति का प्रयोग करने वाली पहली अपीलीय अदालत को एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसने तथ्यों और/या कानून की उन दलीलों पर विचार किया है, जिनके लिए उसके समक्ष आग्रह किया जाना था और उन पर विचार-विमर्श करने पर उन्हें सही पाया गया। किसी गुण या सार से रहित और संक्षिप्त कारण बताना। यह किसी भी वरिष्ठ क्षेत्राधिकार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है, जिसके पास पीड़ित अपीलकर्ता जा सकता है, कि*

अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति का प्रयोग अपवाद के माध्यम से न्यायिक और सचेत रूप से किया गया था।'

25. हमने पाया कि याचिका में दिए गए कथनों से यह खुलासा नहीं होता है कि अपीलकर्ता के पास कार्रवाई का कोई कारण है जो उसे मुकदमा करने का अधिकार देता है। यह तय है कि जहां किसी व्यक्ति का कोई हित नहीं है, या कानूनी दावे या कार्रवाई का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हित नहीं है, उसके पास मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मुकदमा करने का अधिकार या लोकस स्टैंडी कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग है। टी. अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467 में, इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए वीआर कृष्णा अय्यर जे. ने कहा कि यदि वादपत्र को सार्थक-औपचारिक नहीं-पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और गुणहीन है, इस अर्थ में मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने पर, इसे पहली सुनवाई में ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।

26. अधिनियम की धारा 83 केवल एक निर्वाचक या उम्मीदवार को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देती है। निहित रूप से, यह किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव याचिका दायर करने से रोकता है। इस अर्थ में चुनाव याचिका को अधिनियम की धारा 86(1) के साथ पठित धारा 81 द्वारा वर्जित किया जा सकता है।

27. इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान चुनाव याचिका को शुरुआत में ही सही ढंग से ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए, सिविल अपील खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।